(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जायेंगे ।

ख. लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जायेगी । ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांग जायेंगे । राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मंत्रालय से प्राप्त पत्र के तीन मास के भीतर भेजनी होगी ।

ग. नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई० एल० में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजें जाने चाहिए । इसके साथ 2500 रुपये की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए । इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाय ।

घ. उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं ।

ह०/-

एस० भवानी

उप सचिव, भारत सरकार

एफ सं 10-74-91-एल० पी० नई दिल्ली, 18 नवम्बर 1991

उपरोक्त प्रैस नोट को विषय वस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रैस सूचना कार्यालय को अग्रेषित :-

प्रधान सूचना अधिकारी,
प्रधान सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली

चीनी और गेहूं का आयात

1842. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विदेशों से कितनी मात्रा में चीनी और गेहूं का आयात किया गया और इसका मूल्य कितना था, और

(ख) विदेशों से चीनी और गेहूं का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले वर्ष अर्थात 1991-92 के दौरान विदेश से गेहूं तथा चीनी का कोई आयात नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Contribution of States for Foodgrains in the Central Pool

1843. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) the names of the States which are regularly contributing foodgrain supply to the Central pool;

(b) what was the contribution of these States in the years 1990-91 and 1991-92; and

(c) whether Tamil Nadu is supplying foodgrains to the stock of Central pool if so, what is the quantity of foodgrains supplied by Tamil Nadu in the year 1989-90, 1990-91 and 1991-92 ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) Punjab, Haryana Uttar Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, West Bengal and Union Territory of Chandigarh are the regular contributors of foodgrains to the Central pool.

(b) A statement showing state-wise quantities of foodgrains procured during the 1990-91 and 1991-92 marketing seasons is attached. (See below).

(c) Tamil Nadu does not contribute foodgrains to the Central Pool.